## श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

SHRIRAM Finance

SHRIRAM City MONEY WHEN YOU NEED IT MOST

**पंजीकृत कार्यालय : श्री टॉवर्स, प्लॉट नं. 14ए, साउथ फेस इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई 600 032**
**शाखा कार्यालय : 804, स्काई बिजनेस पार्क, शालीमार टाउनशिप के सामने, ए.बी. रोड, इंदौर - 452 010 (म.प्र.),**
**वेबसाइट : www.shriramfinance.in**

### सांकेतिक कब्जा सूचना

**नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार ''श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड'' को ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' का नाम बदलकर ''श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड'' कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।**

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल)** का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं को कथित माँग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं।

कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि एसएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित बन्धक सम्पत्ति पर **16.12.2024 को सांकेतिक कब्जा** कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

**कर्जदार का नाम एवं पता**

**1) मैसर्स ओम साईं कलेक्शन (कर्जदार)**
**इसके प्रोपराइटर श्री गोविंद शर्मा द्वारा प्रतिनिधि दुकान क्रमांक 3, बिंदु पटेल मार्केट, गौरी नगर, खातीपुरा, इंदौर, 452001**
**इसके अलावा: मकान क्रमांक 34/11, परदेशीपुरा, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452003।**
**2) श्री गोविंद शर्मा (सह-कर्जदार/गारंटर)**
**मकान क्रमांक 34/11, परदेशीपुरा, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452003**
**श्रीमती लता शर्मा (सह-कर्जदार/गारंटर)**
**मकान क्रमांक 34/11, परदेशीपुरा, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452003**

**मांग सूचना**

**मांग सूचना दिनांक-10.10.2024. रु. 1,29,42,882 (रुपये एक करोड़ उनतीस लाख बयालीस हजार आठ सौ अठासी मात्र) ऋण खाता क्रमांक RSINDLP2209060003 के संबंध में दिनांक 08.10.2024 तक**

**सम्पत्ति का विवरण**

**अनुसूची-1: आवासीय मकान क्रमांक 34, रोड क्रमांक 11, परदेशीपुरा में स्थित, क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट (223.4 वर्ग मीटर), भूतल से तीसरी मंजिल तक निर्मित, छत के अधिकार सहित, परदेशीपुरा, इंदौर मध्य प्रदेश।**
**निम्नानुसार सीमा: पूर्व: बेकलेन, पश्चिम: सरकारी सड़क, उत्तर: मकान क्रमांक 33, दक्षिण: मकान क्रमांक 35**

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

**स्थान : इंदौर** **ह./-अधिकृत प्राधिकारी**
**तिथि : 16.12.2024** **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड**

---

## इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking)
अच्छी प्रगति का साथ सभी Good people to grow with
www.iob.in

**क्षेत्रीय कार्यालय : द्वितीय तल, प्लॉट नं. 3, मालवीय नगर, भोपाल (म.प्र.)-462003**
**फोन: 0755- 2570202**

### संशोधन

**सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 14/12/2024 को बिजनेस स्टेण्डर्ड समाचार पत्र में प्रकाशित ई-नीलामी सूचना जारी दिनांक 10.12.2024 में निम्न संशोधन नोट करें: ई-नीलामी की दिनांक 31.12.2024 परिवर्तित करके दिनांक 08.01.2025 के स्थान पर कर दी गई है। शेष यथावत।**

**प्राधिकृत अधिकारी**

---

**ई-नीलामी बिक्री सूचना**
**वेज एस्टेट्स लिमिटेड (परिसमापन में)**
**(CIN: U01403BR2010PLC016413)**

**पंजीकृत कार्यालय:** स्वधा अपार्टमेंट के सामने, आशियाना रोड, पटना 800017, भारत

माननीय एनसीएलटी, कोलकाता पीठ द्वारा दिवालिया एवं ऋण अशोधन संहित, 2016 ("संहिता") के अधीन सी.पी. (आईबी) सं. 259/केबी/2021 में आई.ए 788/केबी वर्ष 2023 में 31 जनवरी, 2024 को जारी आदेश के मार्फत नियुक्ति परिसमापक द्वारा प्रस्तावित आईबीसी 2016 की धारा 35(एफ) के साथ पठित परिसमापन प्रक्रिया विनियमों के विनियम 33 के अधीन परिसमापन परिसम्पदा के हिस्से के रूप में वेज एस्टेट्स लिमिटेड (परिसमापन में) द्वारा मालिकाना प्राप्त सम्पत्तियों की बिक्री।

बोलियां https://indiaeaction.com पर ऑनलाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के जरिए संपादित की जाएगी; मोबाइल नं.: +91 7990822351

भारतीय दिवालिया एवं ऋण अशोधन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32 के अनुच्छेद (ए) एवं (डी) के मद्देनजर एकल आधार/खण्डों में निगमित कर्जदार की सम्पत्तियों की बिक्री।

**नीलामी की तारीख एवं समय: 21 जनवरी 2025 (मंगलवार) को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक (अपराह्न 05.00 बजे तक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)**

| सम्पत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य (रकम रु. में) | प्रारंभिक बयाना राशि जमा (रकम रु. में) | वृद्धि मूल्य (रकम रु. में) |
|---|---|---|---|
| **भूमि-खण्ड 1** ग्राम-बझा, पी.एच. सं. 23, आर.एन.एम-सीतापुर, तहसील-मऊगंज, जिला-मऊगंज में प्लॉट सं. 32/1 क का हिस्सा, भूमि का क्षेत्रफल 10 एकड़ | रु. 33,41,250/- | रु. 3,34,125/- | रु. 50,000/- |
| **भूमि-खण्ड 1** ग्राम-बझा, पी.एच. सं. 23, आर.एन.एम-सीतापुर, तहसील-मऊगंज, जिला-मऊगंज में प्लॉट सं. 32/1 क का हिस्सा, भूमि का क्षेत्रफल 5 एकड़ | रु. 16,70,625/- | रु. 1,67,063/- | रु. 50,000/- |

**महत्वपूर्ण टिप्पणियां :**
1. प्रत्येक खण्ड के लिए ईएमडी जमा करने पर प्रत्येक खण्डों के लिए बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी।
2. संबंधित खण्डों में सर्वोच्च बोलीदाताओं को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा।
3. बिक्री "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है", "वह जो कुछ भी है", "वहां जो कुछ भी है" तथा "बिना किसी दायित्व" के आधार पर संचालित की जाएगी तथा इस प्रकार, बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी एवं क्षतिपूर्ति के बगैर होगी।
4. वर्तमान बिक्री सूचना को ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज के साथ पढ़ी जानी चाहिए, जिसमें प्रक्रिया का विवरण तथा पात्रता के दस्तावेज जमा करने, सामग्री स्थल का परिदर्शन, सम्यक् तत्परता इत्यादि की समय-सीमा का विवरण उल्लेखित है। कथित ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज 20 दिसम्बर, 2024 से ई-नीलामी सेवा प्रदाता एपेक्सराइज कंसल्टेंट एंड ई-सर्विस की वेबसाइट: **https://indiaeaction.com** पर उपलब्ध रहेंगे।
5. इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में यथा निर्धारित प्रासंगिक नियम एवं शर्तों का **अनिवार्य** रूप से अध्ययन कर तथा उस पर सहमत होने के उपरांत भाग लेना होगा तथा तद्नुसार ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित प्रारूप में अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति **दिनांक 03-01-2025** तक जमा करें।
6. परिसमापक के पास बिना कोई कारण दर्शाए किसी भी चरण में किसी अथवा सभी प्रस्ताव (ों) को स्वीकार अथवा रद्द करने अथवा ई-नीलामी को निलंबित/स्थगित/निरस्त/संशोधित/समाप्त करने अथवा नीलामी प्रक्रिया से उसकी किसी भी सम्पत्ति को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।
7. संहिता की धारा 35 के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (एफ) के प्रावधानों के अनुसार, संहिता की धारा 29ए (समय-समय पर यथा संशोधित) में यथा निर्धारित पात्रता के मानदंडों पूरा करने में विफल रहने पर इच्छुक बोलीदाता बोली जमा करने के पात्र नहीं होंगे।
8. सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री मूल्य की शेष रकम का इसके मांग की 30 दिनों के अंदर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में भुगतान की वास्तविक तारीख तक उस पर सालाना 12% की दर से ब्याज लागू होगा तथा परिसमापक द्वारा प्रारम्भिक मांग की तारीख से 90 दिनों के अंदर भुगतान नहीं किए जाने पर बिक्री रद्द कर दी जाएगी एवं ईएमडी रकम जब्त कर ली जाएगी।
9. किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर कृपया पत्राचार का पता **2, हेयर स्ट्रीट, निक्को हाउस, पहली मंजिल, कमरा नं. 29, कोलकाता-700001, भारत** पर सम्पर्क करें अथवा परियोजना की निर्दिष्ट ईमेल आईडी: **cirp.waysestatesltd@gmail.com** पर मेल करें।

तारीख तथा स्थान: 20 दिसम्बर, 2024, कोलकाता

**आदित्य कुमार टिबरेवाल**
**(IBBI/IPA-001/IP-P00743/2017-2018/11249)**
**वेज एस्टेट्स लिमिटेड के परिसमापक**
एएफए की वैधता 31 दिसम्बर, 2025 तक
पंजीकृत पता: 2, हेयर स्ट्रीट, निक्को हाउस, पहली मंजिल, कमरा नं. 29, कोलकाता-700001
ईमेल आईडी: cirp.waysestatesltd@gmail.com

---

## सूर्योदय स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड

SURYODAY A BANK OF SMILES

रजि. एवं कार्पोरेट कार्यालय: 1101, शारदा टैरेस, प्लॉट 65, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614, सीआईएन: L65923MH2008PLC261472

**वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत**

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी मैसर्स सूर्योदय स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (''एसएसएफबीएल'') के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं), गारंटर(ओं) से आह्वान किया गया है कि वे संबंधित नोटिस जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर ब्याज, लागत और शुल्क सहित संपूर्ण बकाया का भुगतान करके कंपनी के प्रति अपनी देयता का पूर्ण निर्वहन करें और नीचे दिए गए नोटिस के प्रकाशन के रूप में आप तक वैकल्पिक सेवा का एक तरीका है। ऋण की देय चुकौती के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित सुरक्षित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं), गारंटर(ओं) द्वारा एसएसएफबीएल के पास बंधक रखा गया है।

| क्र. सं. | उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/गारंटर्स का नाम | मांग सूचना की तिथि | एनपीए की तिथि | कुल बकाया राशि रु. में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लैन नं. 217010002432<br>1) श्री मनीष कुमार पाटीदार,<br>2) श्रीमती सुनीता पाटीदार, 3) श्रीमती सुंदर बाई पाटीदार, | 23-08-2024 | 03-06-2024 | **रु. 10,06,087.91 दिनांक 19.08.2024 तक** |
| | **सुरक्षित आस्तियां / अचल सम्पत्ति का विवरण:** सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि पटवारी हल्का नं.11, मकान नं. 461, भूमि क्षेत्रफल 5950 वर्ग फीट, वार्ड नं. 21, खसरा नं. 705, ग्राम कच्चीबड़ौदा, तहसील बदनावरदी धार. 454660 मप्र, चौहद्दी: पूरब में = सड़क पर या उसकी ओर, पश्चिम में = स्वयं का खुला प्लॉट, उत्तर में = श्री विजय का मकान, दक्षिण में = सड़क | | | |
| 2 | लैन नं. 227000003247<br>1) श्री माखन पड़िहार, 2) श्री लालता बाई | 28-08-2024 | 05-05-2024 | **रु. 16,52,055.89 दिनांक 23.08.2024 तक** |
| | **सुरक्षित आस्तियां / अचल सम्पत्ति का विवरण:** सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि संपत्ति मकान नं. 1, कुल भूमि क्षेत्रफल 2112 वर्गफुट, पटवारी हल्का नं. 8, सर्वे नं. 239, ग्राम भाटाहेड़ी, ग्राम पंचायत हरियाणि तहसील मो बड़ोदिया जिला शाहजापुर 465001, चौहद्दी: पूरब में = श्री राजेश सिंह का मकान, पश्चिम में = श्री छतर सिंह का मकान, उत्तर में = सड़क, दक्षिण में = सड़क | | | |

यदि उक्त उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) एसएसएफबीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो एसएसएफबीएल ऊपर उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने का हकदार होगा और कंपनी के लिए कानून में उपलब्ध अन्य कार्रवाई करेगा, जो पूरी तरह से उधारकर्ताओं के जोखिम, लागत और परिणामों पर होगा।
उक्त उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (13) के प्रावधान के तहत एसएसएफबीएल की पूर्व सहमति के बिना पूर्वोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को, चाहे बिक्री, पट्टे या नोटिस में संदर्भित किसी अन्य तरीके से स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध है।

**स्थान: मध्य प्रदेश, दिनांक: 20-12-2024** **हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, कृते मैसर्स सूर्योदय स्मॉल फाईनेंस बैंक लि.**

---

## इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

equitas Equitas Small Finance Bank

**(पूर्व में इक्विटस फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)**
**पंजीकृत कार्यालय : नंबर 769, स्पेंसर प्लाजा, चतुर्थ तल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600002**

**अधिग्रहण सूचना (नियम 8(1) के अंतर्गत - अचल संपत्ति हेतु)**

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मै. इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक माँग सूचना निर्गत की थी, जिसमें अर्थात् सूचना में निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को सूचना में अंकित कुल बकाया राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि निम्न वर्णित उधारकर्तागण अनुबंधित समय के अंदर निम्न उल्लेखित राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा निम्न वर्णित उधारकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित सम्पत्तियों का लेन-देन न करें तथा सम्पत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहाँ इसमें निम्नांकित एक बकाया राशि तथा इस पर भावी ब्याज एवं अन्य शुल्कों हेतु मैसर्स इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। ''उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।''

| क्र. सं. | उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) के नाम | प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण | माँग सूचना तिथि एवं राशि | अधिग्रहण लिए जाने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **शाखा - एमपी-अशोकनगर ऋण संख्या - SEMPASK022597 उधारकर्ता - श्री रवि विश्वकर्मा सह-उधारकर्ता - श्रीमती अनीता बाई** | संपत्ति मकान नंबर 625 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो गांव आंवरीमाफी, पटवारी हल्का नंबर 6, सर्वे नंबर 303/मिन.-10/1, तहसील और जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश में स्थित है, जिनका क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट है और जिसका स्वामित्व अनीता बाई के पास है, सीमा :- पूर्व में :- अन्य का भूखंड संख्या 631, पश्चिम में:- प्रस्तावित 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर में:- प्रस्तावित 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण में:- संतोष कुमार सिंघई का भूखंड संख्या 626, उप-पंजीयक कार्यालय के उप-पंजीयन जिले और अशोकनगर (म.प्र.) के पंजीकरण जिले के अंतर्गत स्थित है। | **26.09.2024 और 221955** | **18.12.2024** |
| 2. | **शाखा - छतरपुर ऋण संख्या - SECTRPR0288937 उधारकर्ता - जुलेखा खातून सह-उधारकर्ता - फहीम राईन** | खसरा संख्या 695/2/1/1 के भूखंड वाली भूमि संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो मौजा पलौदा, पटवारी हल्का संख्या 66, आर.एन.एम. छतरपुर, नगर निगम छतरपुर की सीमाओं के अंदर, तहसील और जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका अधिमापन 1200 वर्ग फुट है जो जुलेखा खातून के स्वामित्व में तथा निम्नानुसार परिसीमित है, सीमा:- पूर्व में: - 20 फीट कच्ची सड़क, पश्चिम में: -विक्रेता की भूमि, उत्तर में: - अकील का भूखंड, दक्षिण में: - 10 फीट कच्ची सड़क, जो छतरपुर (म.प्र.) के उप-पंजीयक कार्यालय और पंजीकरण जिले के उप-पंजीयन जिले के भीतर स्थित है। | **26.09.2024 और 167827** | **17.12.2024** |
| 3. | **शाखा - छतरपुर ऋण संख्या - SECTRPR0234375 उधारकर्ता- श्री अमित सोनी सह-उधारकर्ता - श्रीमती जानकी देवी सोनी, श्रीमती आरती सोनी** | खसरा सं. 441/1 के भूखंड वाली भूमि संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो मौजा नौगोंग, पटवारी हल्का नं. 26, वार्ड नं. 02, सरदार पटेल वार्ड, तहसील नौगोंग, जिला छतरपुर, नगरपालिका निगम छतरपुर की सीमाओं के अंदर, मध्य प्रदेश में स्थित है, अधिमापन 650 वर्ग फुट, जानकी देवी सोनी के स्वामित्व में तथा निम्नानुसार परिसीमित है : सीमा :- पूर्व में:- विक्रेता की भूमि, पश्चिम में:- सड़क, उत्तर में:- विक्रेता का भूखंड, दक्षिण में :-सत्यनारायण अग्रवाल की भूमि, उप-पंजीकरण जिले उप पंजीयक कार्यालय एवं पंजीयन जिला छतरपुर (म.प्र.) के भीतर स्थित है। | **26.09.2024 और 629822** | **18.12.2024** |

**दिनाँक : 20-12-2024, स्थान : छतरपुर, अशोकनगर** **प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

---

## शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय : 501, सालकॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली - 110025**
**सीआईएन: यू65900डीएल2020पीएलसी366027**

**नीलामी सूचना**

शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के निम्नवर्णित कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा बैंक से लिया गया स्वर्ण ऋण, उनसे बार बार मांग किए जाने और सूचनाएं, जिसमें बैंक द्वारा जारी व्यक्तिगत सूचनाएं शामिल हैं, जारी किए जाने के बावजूद, समायोजित नहीं किए गए हैं। एतद्द्वारा सभी कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि बैंक में प्रतिभूति के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषण नीलाम करने का निर्णय किया गया है और तदनुसार नीलामी की तिथि **30-12-2024** तथा समय **अप. 03.00 बजे** नियत किया गया है और नीलामी उस शाखा परिसर में की जाएगी जहां से ऋण प्राप्त किया गया था। कर्जदारों, खाता धारकों सहित सर्वजन और सर्वसाधारण इस नीलामी में नीलामी के नियम एवं शर्तों के अनुसार भाग ले सकते हैं।

| क्र. सं. | शाखा | खाता संख्या | खाता धारक का नाम | पिता/पति/पत्नी का नाम | पता | खाता खोलने की तिथि | बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | इन्दौर | 101042520317 | **कुल बी चौहान** | एस/ओ युवराज सिंह चौहान | 38 एमआईजी सनावद रोड, निकट शिव मंदिर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पश्चिम निमार खरगौन, मध्य प्रदेश-451001 | 16-08-2024 | 217228.28 |
| 2. | इन्दौर | 101042520466 | **कुल बी चौहान** | एस/ओ युवराज सिंह चौहान | 38 एमआईजी सनावद रोड, निकट शिव मंदिर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पश्चिम निमार खरगौन, मध्य प्रदेश-451001 | 22-10-2024 | 85084.86 |
| 3. | इन्दौर | 101042520318 | **दीक्षा सिंह** | एस/ओ अनीश सिंह | 303/11, वल्लभ रेजीडेंसी, कृष्णा एवेन्यू, अमरपाटन, ग्राम पोस्ट त्योधारी, तहसील अमरपाटन, सतना, मध्य प्रदेश-485775 | 16-08-2024 | 168467.21 |

**नीलामी की तिथि 30-12-2024 @ अप. 03.00 बजे है**

**बैंक का, कोई पूर्व सूचना दिए बिना, नीलामी से कोई भी खाता हटाने या नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।**

**प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड**

---

## इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

**पंजीकृत कार्यालय :** प्लाट-15, 6टा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, **शाखा कार्यालय :** दूकान सं. 3, प्रथम तल, शक्ति निकेतन, सर्कुलर रोड स्क्वेयर, भारतीय विद्यालया चौराहा, एबी रोड (ग्वालियर बायपास), शिवपुरी-473551,मध्य प्रदेश, इंदौर- 450021, मध्य प्रदेश,
**शाखा कार्यालय:** 8 घाटकारपर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के ऊपर, मयंक ट्रेडर्स, उज्जैन-456010 (म.प्र.)

**अचल संपत्ति हेतु सांकेतिक कब्जा सूचना**

जबकि अद्धोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग यहां वर्णित खातो के विरुद्ध सूचना में लिखित दिनांक पर एक मांग सूचना जारी कर निम्न उल्लेखित उधारकर्ता और संपत्ति के मालिक/राशि चुकाने की जमानत उल्लेखित राशि को उक्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया। चूंकि संपत्ति मालिक और अन्य राशि चुकाने में विफल रहे है, एतद् द्वारा उधारकर्ता और सर्व सामान्य को सूचना दि जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने निम्न वर्णित संपत्ति/यों का उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सहपठित उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के तहत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग में सूचना में उल्लेखित दिनांक पर प्रत्येक खाते के विरुद्ध संपत्ति का कब्जा ले लिया है, विशेष रूप से उधारकर्ता और आम तौर पर जनता को आगाह किया जाता है कि वह संपत्ति/यों से कोई लेन-देन न करें संपत्ति/यों के साथ कोई भी लेन-देन भविष्य के ब्याज और लागत के साथ इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रभार के अधीन होगा।

| उधारकर्ता/गारंटर का नाम (संपत्ति मालिक) और ऋण खाता संख्या | प्रभारित/बंधक संपत्ति का विवरण (निर्मित संपत्ति का संपूर्ण और सर्वांगीण भाग) | मांग सूचना की दिनांक, मांग सूचना की दिनांक अनुसार बकाया राशि | सांकेतिक कब्जे की दिनांक |
|---|---|---|---|
| **श्री/श्रीमती आशा सैन/ श्री/श्रीमती बृजेश सैन/ श्री/श्रीमती कालका प्रसाद सैन / श्री/ श्रीमती मुकेश कुमार सैन/ श्री/श्रीमती राजेश कुमार पता :** वार्ड सं. 27 भारतगढ दतिया 475661, मध्य प्रदेश/मकान सं. 84 पुराना वार्ड सं. 16 नया वार्ड सं. 10, शेखो का मोहल्ला, भातागढ़, दतिया, 475661, मध्य प्रदेश **ऋण खाता सं. LA47CLLONSO00005037520** | मकान सं 84, पुराना वार्ड सं. 16 नया वार्ड सं. 10 स्थित शेखो का मोहल्ला, नगर दतिया भातागढ़, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, निहित क्षेत्र 84.76 वर्ग मीटर का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन : पूर्व : विक्रेता के मकान शेष भाग, पश्चिम : छेदी पश्चात हारपे,रम्मू और भय्यालाल का मकान , उत्तर : चबुतरा, मकान और सड़क, दक्षिण : छेदी पश्चात श्री राधिका प्रसाद, हारपे रम्मू का मकान। | **मांग सूचना दिनांक : 09/08/2024 रु. 8,06,284/-** (रुपये आठ लाख छह हजार दौ सौ चौरासी मात्र) दिनांक **08.08.2024** तक देय संग **09.08.2024** से लागू ब्याज और अन्य प्रभारों ओर लागत भुगतान की दिनांक तक | **18.12.2024 (सांकेतिक)** |
| **श्री/श्रीमती रेखा/ श्री/श्रीमती हाकिम सिंह/ पता :** जवाहर कॉलोनी, वार्ड सं. 08, डबरा, जिला ग्वालियर, 475110 मध्य प्रदेश/ सर्वे सं. 172 का भाग, वार्ड सं. 08, सहराई, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, 475110, मध्य प्रदेश, **ऋण खाता सं. HL47CHLONSO00005105647** | प्लॉट धारक सर्वे सं. एल 72 का भाग, वार्ड सं. 08 पर स्थित, सहराई, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन : पूर्व : अन्य की संपत्ति, पश्चिम : चन्द्रा देवी की प्लॉट संपत्ति , उत्तर : श्री राम नारायण कोरी का मकान, दक्षिण : 25 फुट चौड़ी सड़क। | **मांग सूचना दिनांक :12/09/2024 रु. 7,61,815/- (रुपये सात लाख इकसठ हजार आठ सौ पंद्रह मात्र)** दिनांक **10.09.2024** तक देय संग **11.09.2024** से लागू ब्याज और अन्य प्रभारों ओर लागत भुगतान की दिनांक तक | **18.12.2024 (सांकेतिक)** |
| **श्री/श्रीमती राजू बाई/ श्री/श्रीमती हेमराज/ पता :** मकान सं. 183 आजाद पुरा, टापरी बिरला ग्राम के पास, नागदा 456335 उज्जैन मध्य प्रदेश/ **ऋण खाता सं. HL45CHLONS000005052517** | प्लॉट सं. 26, एलएस सं. 469/2 का भाग, पी. एच . 32, ग्राम उमरनी खाचरौद, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश 456313 456335 का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग । सीमांकन : पूर्व : अकरम का प्लॉट, पश्चिम : जावेद का प्लॉट, उत्तर : सड़क, दक्षिण : मीणा जी की भूमि। | **मांग सूचना दिनांक : 10/01/2024 रु. 9,62,190/- (रुपये नौ लाख बासठ हजार एक सौ नब्बे मात्र)** दिनांक **10.04.2024** तक देय संग **11.04.2024** से लागू ब्याज और अन्य प्रभारों ओर लागत भुगतान की दिनांक तक | **17.12.2024 (भौतिक)** |
| **श्री/श्रीमती ज्योति सिलावट/श्री/श्रीमती राधेश्याम सिलावट/पता :** मकान सं. 102, रैदास कॉलोनी, छोटी शितला माता उज्जैन 456224 मध्य प्रदेश/ संपत्ति स्थित नगर पालिका खाचरौद का भाग, मकान सं. 102/3, वार्ड सं. 12, रैदस कॉलोनी, खाचरौद, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन 456224, मध्य प्रदेश **ऋण खाता सं. HL45CHLONS000005051901** | संपत्ति स्थित नगर पालिका खाचरौद मकान सं. 102/3 का भाग, वार्ड सं. 12, रैदासलोनी खाचरौद तहतील खाचरौद, जिला उज्जैन कुल मापक 480 वर्ग फुट का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन : पूर्व : सागड़ा जी का मकान, पश्चिम : उम्मेंद्र राम जी का मकान, उत्तर : शंकर लाल जी के मकान का शेष भाग, दक्षिण : सड़क। | **मांग सूचना दिनांक : 20/07/2023 रु. 7,69,660/- (रुपये सात लाख उनहत्तर हजार छह सौ साठ मात्र)** दिनांक **17.07.2023** तक देय संग **18.07.2023** से लागू ब्याज और अन्य प्रभारों ओर लागत भुगतान की दिनांक तक | **17.12.2024 (भौतिक)** |

**कोई भी जानकारी हेतु कृपया संपर्क करें श्री अविनाश कुमार पाण्डे - (+91 9753440180), सत्येंद्र पाटीदार- (+91 7509801709)और श्री सूरज सिंह- (+91 8109743360)**

**स्थान :मध्य प्रदेश, दिनांक : 20.12.2024** **(प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

---

## उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक

*आपकी उम्मीद का खाता*

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

**क्षेत्रीय कार्यालय : रूपा सैफायर, 17वाँ तल, भूखण्ड सं. 12, सेक्टर 18, सनपाड़